वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 (प्रारूप)

अधिसूचना

वाराणसी नगर निगम ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा–संशोधित) की धारा 541 उपधारा (1) (19) (40) (42) एवं धारा 550 के अन्तर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016" के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि **(प्रारूप)** बनायी है। यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस उपविधि (प्रारूप) की स्वीकृति नगर आयुक्त/सदन नगर निगम के संकल्प संख्या 01 दिनांक 08/09/2017 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसके सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित से गजट में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। उपविधि का प्रारूप नगर निगम स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है व नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org पर देखी जा सकती है व 200 रू0 शुल्क का भुगतान कर उपविधि के प्रारूप की छायाप्रति स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त की जा सकती है इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत हैः–

1. "संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ"

1) इस उपविधि का नाम " **वाराणसी नगर निगम की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017"** कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू /प्रभावी हेागीं।

2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2. "लागू होना"

यह उपविधि वाराणसी नगर निगम की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/ अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो वाराणसी नगर निगम की सीमा में है पर लागू होगी।

3 इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् हैः–

परिभाषाएं	2	**जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली मेंः–** 1 **"अभिकरण या अभिकर्ता"** से तात्पर्य नगर निगम वाराणसी द्वारा प्राधिकृत किसी व्याक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें। 2 **"जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट)"** से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/ जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/ मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो

CSU

			माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड / डिकम्पोज हो सकता है।
		3	**''जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)''** से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।
		4	**''शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य''** बायो डिग्रेडिबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री–साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान–रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और **सेनेटरी नैपकिन और डाइपर** आदि से है।
		5	**''घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट'' से तात्पर्य** घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक / हारिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाइटें, अवधि समाप्त औषधियॉ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइयॉ तथा सिरिंज और संदूषित पटिट्यॉ आदि से है।
		6	**''बायो–मीथेनेशन से तात्पर्य''** ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन / ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।
		7	**''द्वार–द्वार संग्रहण से तात्पर्य''** घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।
		8	**''विकेन्द्रित प्रसंस्करण''** से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम् परिवहन करना पड़े।
		9	**''ब्रांड ओनर से तात्पर्य''** ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।
		10	**''निपटान से तात्पर्य''** भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।
		11	**''नगर निकाय''** से तात्पर्य नगर निगम वाराणसी से है,
		12	**''बृहद् अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)''** से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलाग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक

			या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरजंन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।
		13	**''संग्रहण''** से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है,
		14	**''स्रोत पर संग्रहण''** से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे ''घर–घर संग्रहण'' भी कहा जा सकता है,
		15	**''सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र''** से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख–रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/ या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
		16	**''कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य''** ऐसी नियन्त्रित प्रकिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन **एरोबिक/ एनएरोबिक** अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।
		17	**''निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट''** से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्नअपषिश्ट से है।
		18	**'' अपशिष्ट छॅटाई केन्द्र''** से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी, या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।
		19	**'' अपशिष्ट उत्पादक''** से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।
		20	**''निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य**'' किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
		21	**''कूड़ा कचरा से तात्पर्य''** किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकडी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर, और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।
		22	**''संग्रहण''** से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक

		स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बह कर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की संभावना हो।
		23 **''स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह''** स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है जो नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों, जो उस क्षेत्र में सफाई बनाए रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुर्नचक्रण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हों। प्रतिबन्ध यह है कि व सहकारी समितियों, के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हों और उनके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण भी सम्मिलित हों और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।
		24 **''मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)''** से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व–पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।
		25 **''नगरीय ठोस अपशिष्ट''** के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हो।
		26 **''गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन''** से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधत्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।
		27 **''अध्यासी''** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।
		28 **''स्वामी से तात्पर्य''** ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।
		29 **''प्रस्संकरण''** से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रस्संकरण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू–भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रस्संकरण हेतु अभिक्रियित किया गया है।
		30 **''पुनर्चक्रण''** से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रकिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।
		31 ''**कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य''** नगर निकाय द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या

<table>
<tr><td></td><td></td><td>प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।
32 **"प्रयोक्ता शुल्क"** से तात्पर्य उस कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।
33 **"पृथक्करण"** से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्टि समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंष सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।
34 **"छॅटाई" करना** से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कॉच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।
35 **"भण्डारण"** से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।
36 **"परिवहन"** से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।
37 **"विहित प्राधिकारी"** में नगर आयुक्त से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।</td></tr>
<tr><td colspan="3">**इस उपविधि के अर्न्तगत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् हैः–**</td></tr>
<tr><td>**अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य**</td><td></td><td>प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताः–
(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूड़ा), नान–बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग–अलग रंग के डिब्बों क्रमशः **हरा**, **नीला एवं काला** में भंडारित करेगा और समय–समय पर नगर निगम द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान–बायोडिग्रेबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।
(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।
(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले</td></tr>
</table>

		सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा। (3)सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नगर निगम की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है। (4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। (5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा। (6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर निगम की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगें। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा। (7) सभी बृहद् अपशिष्ट सृजक नगर निगम की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद् अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।
प्रतिषेध	3	(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यो से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वातन पाईप और फिटिगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो – i) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुॅचने की,

CSU

		ii) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन मे बाधा पड़ने की, iii) खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की, (2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलाएगा और न ही, पशुओं, वाहनो बर्तनो या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा। (3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा। (4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा। (5) पालतु पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेगें क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है। (6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नही करेगा। (7) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा। (8) कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा। (9) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा। (10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर–घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	4	**1) घरेलू अपशिष्ट का घर–घर संग्रहण** (क) प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला तथा एक घण्टी या सीटी उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट मे सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टी या सीटी बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा–निर्धारित समयावधि में एवं यथा–निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा नही और उसे नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट

संग्रहकर्ता को सौपेगा।

(ख) **नगर निकाय वैकल्पिक रूप मे घर–घर से अपशिष्ट संग्रहण** के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/ मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा।

वाहन चालक, घर या बीट मे हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर मे डालेगे।

(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणेां अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर–घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण

होटल या रेस्टूरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक क्रेंद्रो के अपशिष्ट का संग्रहण–

शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/ अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक आस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची–3 मे सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपिशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली 2016 के अनुसार आदेशित हों।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध मे लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक–पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेगें एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक; नगर निकाय या उसके अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेगें जो उत्पादक से पृथक–पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपिशिष्ट को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

		(8) सभी जैव अनाशित (नानबायोडिग्रडेबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भंडारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक–पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगर निकाय या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छॅटान केन्द्रों को दिया जायेगा। **वेस्ट पिकर्स :–** वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान पत्र दिया जायेगा। उन्हें अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर–घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं, लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो मे दी गई है)। **(9) उद्यान और बागबानी अपशिष्ट** की प्रारंभिक अवस्था मे ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक–पृथक किये गये उद्यान और बागबानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा। **(10)** आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा। **(11)** किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा। **(12)** नाले एवं नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण	5	(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों मे पृथक करेगाः– 1– जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा) 2– जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा) 3– जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट 4– घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट (2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	6	(1)नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस–पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो। (2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी। (3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहॉ किसी प्रकार का अपदूषण

		तथा गन्दगी न फैले। (4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा। (5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड मे जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक–पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।
सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र	7	अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहां से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी समय–समय पर अधिसूचित करें।
ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था	8	नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिको की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छॅटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा मे व्यवस्था की जायेगी, जिसमे संगठनो या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट कॉम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किए गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों,फलों,फूलों,मांस, कुकुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रिकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
सुविधा और सहायता उपलब्ध करना	9	नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद्य बनाने वाले विशेषज्ञों लाइसेंस प्राप्त कबाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यपारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनो के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय के सम्बिन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेगें। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।
कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार का लगाया	10	नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तरण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण नगर आयुक्त द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार

जाना		पर किया जायेगा।
कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना	11	अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों मे लगाये गये पेड़ों और आस पास के पेड़ों मे डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण	12	(1) जहॉ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा मे खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व मे हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयॉ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों, द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रर्दशन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो। (2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों मे इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनो को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी। (3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे। (4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा–आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा। (5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों मे पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। **(6)** वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविध से छांट कर निकाला गया हो को; सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा। **(7)** छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो–वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। **(8)** खुली हुई डम्प साइट्स की बायो–माइनिंग व बायो–रेमिडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

		(9) घरेलु परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 20 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। (10) घरेलु परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन	13	नगर आयुक्त, या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहॉ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूडा गाड़ी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्‌ठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन मे रखा गया कूड़ा ढ़ॅका रहेगा।
स्रोत पर ही एकत्रीकरण	14	भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ीयों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।
सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र	15	अपवादिक मामलों मे जहां स्थान–स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।
अपशिष्ट छटाई केन्द्र	16	पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते है, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप मे उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगें। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिर्स्टड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी। जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए ''हरे रंग'' के डिब्बे पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए ''नीले रंग'' एवं अन्य अपशिष्ट के लिए ''काले रंग'' के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छॅटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छॅटाई केन्द्रों से कूडा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
समय सारिणी तथा	17	नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं

एकत्रीकरण का मार्ग		अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।
स्थानीय नागरिक समूह	18	स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तद्परान्त घर–घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सके। सड़कों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेगे। पंजीकरण प्रक्रिया, माडल उपविधियॉ तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनो हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।
सफाई अभियान	19	उन क्षेत्रों मे जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहॉ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण	20	नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एव रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमे नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन	21	जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशंसा पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा। इसकी सूचना और विवरण वाराणसी नगर निगम के कार्यालयों तथा नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamvns.org.in पर उपलब्ध रहेगें।
शिकायतों का निस्तारण	22	नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/ सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।
नागरिकों की सफाई टीम	23	नगर आयुक्त, नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छताग्राही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों का नगर निकाय कार्मिकों को

		अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
रूचि की अभिव्यक्ति	24	किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो–मिथेनीकरण आदि की नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों मे तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।
आकस्मिक निरीक्षण	25	अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जॉच करेगें। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े–कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमे अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व	26	(1) **मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्व** क– नगर आयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहॉ जहॉ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रो में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने को अन्तर्गत) का विस्तार करेगें।
		ख– जहॉ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
		ग– अपवादिक मामलो में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहॉ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहॉ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।
		(2) **मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व** चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढॅकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुॅचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निशिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।
		(3) **ठेले वालों/फेंरी वालों के दायित्व** प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग–अलग डिब्बे या कूड़ादान रखेगा। सम्यक रूप से पृथक किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाड़ी या निकाय

		चिन्हित सामुदायिक उपशिष्ट भण्डराण कूड़ादान तक पहुचानें का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।
		(4) **नाली की सफाई का दायित्व** घरेलू नाली वाले भू–गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग अलग करके पहुॅचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा। जहॉ ऐसे भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।
		(5) **पालतू पशु स्वामी का दायित्व** किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतु पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।
		(6) **सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व** सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना– प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करे। नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नही होगी। (7) **निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तब्यः–** (1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लाटिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे। (2) गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेगें। (3) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों

		के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे। (4) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।
नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति	27	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा उल्लघंन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।
अपराधो का प्रशमन	28	इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नगर आयुक्त/ नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अथवा नगर आयुक्त द्वारा उक्त कार्यो के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निगम में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निगम कोष में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाए अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन, (क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा। (ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2017
प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (रु0 में)	प्रत्येक बार पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निगम द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5
1	**व्यक्ति/ संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसीः–** 1. अपशिष्ट फैलाना/ फेकना। 2. थूकना। 3. मूत्र विर्सजन करना। 4. जनवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना। 5. वाहनों की धुलाई। 6. कपड़े धोना। 7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना।	–200 –100 –100 –500 –500 –500 –500	प्रशमन शुल्क का दोगुना	–500 –250 –250 –1500 –1500 –1500 –1500
2	मार्ग, पार्क, घाटों, आदि सार्वजनिक स्थल, की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500.00		1000.00
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	500.00	उपरोक्तानुसार	1000.00
4	पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर ।	500.00	उपरोक्तानुसार	1000.00
5	नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवेरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने परः– (क) पशु पालक 5 जानवरों तक (ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक (ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	1000.00 5000.00 10,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना उपरोक्तानुसार	5000.00 10000.00 20,000.00

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (रु0 में)	प्रत्येक बार पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निगम द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5
6	डस्टबिन/ स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	500.00		शून्य
7	उपकरणों/ कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	500.00		शून्य
8	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा–करकट को बनाये रखना।	500.00		500.00
9	कानून का उल्लघंन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण।	1000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना उपरोक्तानुसार	
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहनाः– (क) डबलिंग यूनिट/ भवन/ फ्लैट (ख) दुकान/ बूथ (ग) माल/ मल्टीप्लेक्स/ शापिंग शापिंग आर केड/ होटल (घ)शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	 500.00 400.00 5000.00 2000.00		शून्य
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1000.00		शून्य
12	थर्मोकोल आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना उपरोक्तानुसार	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग–अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपनाः– (क) व्यक्तिगत भवन (ख) दुकान/ बुथ (ग) माल/ मल्टीप्लेक्स/ शापिंग शापिंग आर केड/ होटल/ मैरेज पैलेस (घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान (ड.) औद्योगिक भूखण्ड/ यूनिट (च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	 200.00 500.00 5000.00 2000.00 5000.00 5000.00	प्रत्येक प्रकरण में प्रशमन शुल्क का दो गुना प्रशमन शुल्क का दो गुना	
14	वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा	5000.00 प्रतिमाह	10000.00 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के

CSU

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (रु0 में)	प्रत्येक बार पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निगम द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5
	अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।			परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2000.00	4000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5000.00	10000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट कों यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000.00	2000.00	————
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000.00	2000.00	————
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/ अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500.00 प्रतिटन	कालम–3 की दो गुनी राशि	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	500.00	————
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छँटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000.00	2000.00	1000.00
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	500.00	1000.00	1000.00
23	खुले में शौच करने पर।	500.00	1000.00	1000.00
24	पालतू जानवारों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/ पार्क में फेकना।	500.00	1000.00	1000.00
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	1000.00	1000.00

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (रु0 में)	प्रत्येक बार पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निगम द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि (रु0 में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
26	बिना डिब्बा/ अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/ फेरी वाले/ दुकानदारों के लिए।	100.00	200.00	————
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500.00	1000.00	1000.00
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1000.00	2000.00	2000.00
29	सार्वजनिक सम्मेलन/ समारोह के पश्चात 24 घण्टें के भीतर सफाई न करने के लिए।	5000.00	10000.00	सफाई करने पर आने वाले वास्वतिक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना

नोटः—

1. उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षो के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरे स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।
2. अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/ यूनिट से बार—बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति नगर आयुक्त को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर आयुक्त द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।
3. यदि अधिकृत अधिकारी/ एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें।

अनुसूची दो

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्चक्रीय **अपशिष्ट** (उदाहरणार्थ स्वरूप)
➢ जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। ➢ रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल है। ➢ मांस और हड्डियॉ ➢ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है। ➢ पशुओं का कूड़ा करकट ➢ गोबर ➢ सफाई के बाद घर की गंदगी ➢ नारियल के छिलके ➢ राख अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	➢ पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ➢ समाचार पत्र ➢ कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें ➢ शीशा ➢ धातु के पदार्थ और तार ➢ प्लास्टिक ➢ फटे कपड़े ➢ चमड़ा ➢ रेक्सीन ➢ रबर ➢ लकड़ी/ फर्नीचर ➢ पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के।

अनुसूची तीन

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यो के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1. **धारदार अपशिष्टः—**
   सुईयॉ, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2. **बेकार दवाइयॉ और साइटोटाक्सिक औषधियॉः—**
   अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

3. **ठोस अपशिष्ट**
   रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्‌टी, प्लास्टर पट्‌टी, कपड़े की पट्‌टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

नगर आयुक्त
नगर निगम,वाराणसी

CSU

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

नगर निगम अधिनियम की धारा 91(1) के अन्तर्गत प्रस्ताव

प्रस्ताव सं0:– 01 दिनांक:– 8/09/017 संकल्प सं0:– 01 दिनांक:– 08-09-17

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक–08 अप्रैल, 2016 को अधिसूचना जारी करके पूर्व प्रचलित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 के स्थान पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 निर्गत किया है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि वर्णित नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाय। वर्तमान समय में भारत सरकार के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन योजना लागू है। इस योजना में शहर की सफाई, स्वच्छता, कूड़े का प्रबन्धन, जनसहभागिता आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए खुले में शौच को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने, जिन भवनों में शौचालय नही है उनमें शौचालय का निर्माण करने, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था करने का प्राविधान है। **सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए उक्त व्यवस्था का उल्लघंन करने वाले को दाण्डित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग वाराणसी नगर निगम द्वारा एवं उपविधि प्रस्ताव** तैयार किया गया है जो **"नगर निगम वाराणसी की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017"** कहलायेगी। इस उपविधि का प्रारूप स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया जा रहा है। दिसम्बर, 2016 माह में इसे मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत करने हेतु मा0 महापौर के समक्ष रखा गया था। मा0 महापौर जी ने सहमति देते हुए 20.12.2016 की तिथि भी निर्धारित कर दी थी किन्तु किन्ही कारणों से सदन की बैठक नही हो सकी। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत चल रहे कार्यो एवं स्वच्छ सर्वेक्षण– 2018 में स्वच्छता मापदण्डों के लिए किए गये उल्लंघन पर जुर्माने की प्रगति पर अंक रखे गये है। इस उपविधि से इसमें **भी** लाभ मिलेगा। अब नगर निगम सदन का कार्य काल समाप्त हो चुका है तथा शासनादेश सं0 3420/9–1–2017–119 रिट/2011 दिनांक 15 जुलाई, 2017 में दी गयी अन्तरिम व्यवस्था के अनुसार निकाय की कार्य अवधि के उपरान्त नगर आयुक्त, **वाराणसी नगर निगम** को निगम के कार्य का संचालन दायित्व दिया गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए **उपविधि के प्रारूप को नगर निगम अधिनियम की धारा 543 'क' के अनुरूप इस संकल्प को गजट में प्रकाशित कराया जायेगा व धारा 543 'ख' के अनुसार यह सार्वजनिक निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी व धारा 543 'ग' के अनुरूप 200/– रू0 (दो सौ रूपये मात्र) शुल्क देने पर इसकी प्रति प्राप्त की जा सकेगी।** उक्त उपविधि का प्रारूप सदन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। इसके उपरान्त दिनांक 30/09/2017 तक आपत्तियॉ प्राप्त की जायेगी व प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उनका निस्तारण करते हुए इसे अन्तिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा। **" वाराणसी नगर निगम की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017"** का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। 8.9.17 नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर आयुक्त 8/9/17	प्रस्ताव अनुमोदित नगर आयुक्त/ कृते सदन नगर निगम

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

25

CSU